



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2686]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2016/कार्तिक 23, 1938

No. 2686]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2016/KARTIKA 23, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2016

का.आ. 3449 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3407(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,—

(क) खंड (vi) में, "24 नवम्बर, 2016 को कारवार के घंटों की समाप्ति तक, जिसके पश्चात् इन सीमाओं का पुनर्विलोकन किया जाएगा" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी ऐसे चालू खाते से, जो पिछले तीन मास या अधिक के दौरान प्रचालन में रहा है, नकद आहरण एक सप्ताह में 50,000/- रुपए तक निर्बंधित होगा।";

(ग) खंड (viii) में, "और इस सीमा को 19 नवम्बर, 2016 से प्रतिदिन प्रति कार्ड 4,000/- रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई. I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3407(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3418(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2016 द्वारा सुधारी गई तथा का.आ. 3446(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th November, 2016

S.O. 3449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in paragraph 2,—

(a) in clause (vi), the words, letters and figures “until the end of business hours on 24th November, 2016, after which these limits shall be reviewed” shall be omitted;

(b) after clause (vi), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that cash withdrawal from a current account, which is in operation during the last three months or more, shall be restricted to Rs. 50,000/- a week.”;

(c) in clause (viii), the words, letters and figures “and the limit shall be raised to Rs. 4000/- per day per card from 19th November, 2016” shall be omitted.

[F. No. 10/03/2016-Cy. I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3407(E) dated the 8th November, 2016 and subsequently corrected *vide* notification number S.O. 3418(E) dated the 9th November, 2016 and amended *vide* S.O. 3446(E) dated the 13th November, 2016.